न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: दिनेश चन्द्र जैन आई.ए.एस.

राजस्व विविध:: 04/2011 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण
मांगीलाल पुत्र किशनसिंहजी जाति पुरोहित निवासी सुकरलाई तहसील रोहट, जिला पाली		1. मूलसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति पुरोहित निवासी सुकरलाई हाल 264, शिवम नगर, मंडिया रोड़, पाली 2. गौरीदेवी पत्नी बाबुलालजी जाति बंजारा निवासी सिणगारी तहसील रोहट जिला पाली 3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(1) राज. भू राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र मेवाड़ा

-:: आदेश ::

दिनांक :- 30/8/19

यह प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ग्राम सुकरलाई के खसरा नम्बर 92 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में तहसीलदार पाली द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत दिनांक 01.07.1985 को किया गया था। उक्त नियम निरसित होकर उसके स्थान पर वर्तमान में 1970 के नियम प्रभावी एवं नियम 1957 के तहत आवंटन को नियम 1970 के तहत चुनौती दी जाना नियमों में प्रावधानित है। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु, यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया, अधिनस्थ न्यायालय से रेकर्ड तबल कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि आवंटित भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 92 जिसके बाद में खसरा नम्बर 92/4 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वक्त आवंटन भू आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है तथा आधारहीन रूप से आवंटन किया गया है। वक्त आवंटन आवंटी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, जो नाबालिग था तथा अपने पिता पर

जिला कलेक्टर, पाली

आश्रित था। अप्रार्थी की जन्मतिथी 07.07.1955 है, जिसका प्रधानाध्यापक से प्रदत्त प्रमाण पत्र क्रमांक 15 दिनांक 24.08.2011 की प्रति प्रस्तुत की गई, जो पत्रावली संलग्न है। उसमें अंकित प्रवेशांक क्रमांक 141 व जन्म दिनांक 07.07.1955 प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 मूलसिंह वक्त आवंटन नाबालिग था तथा नाबालिग 10 वर्ष के व्यक्ति को आवंटन विधी सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। आवंटन बाबत विधिक रूप से उद्घोषणा जारी नहीं की गई है, न ही आवेदन आमंत्रित किए गए है तथा बिना कोरम के तहसीलदार पाली एवं सरपंच से मिलावट कर आवंटन किया गया है, जो निरस्तनीय है। आवंटी को आवंटित भूमि की जहां तरमीम की गई, वहां आवंटी का अथवा पश्चातवृती क्रेता का कब्जा नहीं रहा। खसरा नम्बर 92/4 के एक तरफ खसरा नम्बर 93 सड़क की भूमि है तथा दूसरी तरफ खसरा नम्बर 90 की भूमि बताई गई है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। मौके पर खसरा नम्बर 93 की सड़क खसरा नम्बर 92/4 में से ही निकली हुई है तथ खसरा नम्बर 92/4 की भूमि उपलब्ध ही नहीं है तथा अप्रार्थीगण (क्रेता व आवंटी) झगड़ालु प्रवृति के है, जो मौके पर भूमि नहीं होने के बावजूद भी विवाद करते है। सहायक कलेक्टर, रोहट के न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 मूलसिंह द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर आवंटन से लेकर आज तक उसका कब्जा नहीं होना बताया व उक्त भूमि विक्रय कर दिया जाना बताया है, उक्त आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं होने से भी आवंटन निरस्त योग्य है, इस प्रकार आवंटी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त नहीं किया, जिसके अभाव में नियम 14(3) और 14(8) के तहत आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी के पिता के नाम भूमि थी अथवा इस बाबत रिपोर्ट नहीं ली गई। ऐसी स्थिति में आवंटी को भूमिहीन की श्रैणी में माना जो, आधार नहीं है जबकि उपरोक्त आवंटी के पिता के नाम भूमि थी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखता है, इन सभी तथ्यों के आधार पर आवंटन विधि विरूद्ध किए जाने से निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि आवंटी मूलसिंह को खसरा नम्बर 92 में से रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन तत्समय प्रावधानित कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत दिनांक 01.07.1965 को किया गया तथा आवंटन संबंधी सभी शर्तो की पालना किए जाने से आवंटन के 10 वर्ष पश्चात संवत् 2031 में जरिए नामान्तरकरण संख्या 128 के आवंटी को आवंटित खसरा नम्बर 92/4 रकबा 15 बीघा के खातेदारी अधिकार दिए गए एवं खातेदार दर्ज किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन गलत है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत किए गए को नियम 1970 के तहत चुनौती दी जाना नियमों में प्रावधानित है। विधी अनुसार खातेदारी अधिकार दिए जाने के पश्चात किए गए आवंटन को नियम 14(4) के तहत चुनौती नहीं

जिला कलेक्टर, पाली

दी जा सकती है तथा उसके बाद नियमित वाद ही आवंटन निरस्त कराने का एक मात्र उपचार है तथा पक्षकारों के मध्य घोषणा का वाद लम्बित है, इस संबंध में घोषणा का वाद सहायक कलेक्टर, रोहट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो लम्बित है। उक्त वाद के लम्बित रहते नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्ती के माध्यम से खातेदारी निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। आवंटी को आवंटन दिनांक 01.07.1965 को किया गया था। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी भी आवंटी को दिए जा चूके है। जिसे वर्षो व्यतीत हो चुके है तथा खातेदारी अधिकारी मिलने के पश्चात गैर प्रार्थना पत्र भूमि आगे से आगे कई व्यक्तियों को विक्रय की जा चुकी है तथा समय–समय पर उनको खातेदार दर्ज किया गया। जिनका कब्जा काश्त भी उक्त आराजी पर है, जो तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28.05.2016 की प्रति उक्त राजस्व वाद में पेश है तथा जिसकी फोटोप्रति इस पत्रावली के संलग्न पेश की है, उससे स्पष्ट है कि आवंटन के 46 वर्षो के बाद उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निश्चित रूप से लम्बी समयावधी के बाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका समयसीमा में प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने का समुचित कारण भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र समयसीमा में प्रस्तुत नहीं किया जाने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्घोषण जारी नहीं करना, कोरम पूरा नहीं होने जैसे आरोप लगाए है, जबकि प्रार्थी स्वयं ने खसरा नम्बर 90 की आराजी में 15 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा उन्हें आवंटन भी किया गया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उद्घोषणा जारी की गई थी तथा कोरम पूरा था, तभी प्रार्थी को भी भूमि आवंटन किया गया था। अगर कोरम का अभाव था, तो अप्रार्थी के साथ ही प्रार्थी को भी उसी दिवस को आवंटन किया गया था, जो निरस्त होना चाहिए था। इस प्रकार उद्घोषणा एवं कोरम पूरा नहीं होने के आक्षेप अमान्य होने से प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 01.07.1965 को भूमि आवंटन किया गया, उस समय आवंटन हेतु कोरम की विधिक रूप से भी आवश्यकता नहीं थी। नियम 13(3)(ए) दिनांक 17.05.1976 के संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। इस का प्रभाव इससे पूर्व किए गए आंवटन पर प्रभावी नहीं होने से भी प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। पूर्व में आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था तथा बाद में क्रेतागण का बाद खरीद भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थी द्वारा कपट पूर्ण तरीके से आवंटन नहीं कराया है, न ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कपट पूर्ण आवंटन किए जाने का उल्लेख ही है। आवंटी की वास्तविक जन्मतिथी 07.07.1955 नहीं है। आवंटी वक्त आवंटन बालिग था। स्कूल प्रमाण पत्र एक कूटरचित दस्तावेज होने से उसे आवंटन खारिज करने का आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित अनुसार न्यायिक दृष्टांत भी पेश किए गए।

जिला कलेक्टर, पाली

बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। वक्त आवंटन उद्घोषणा जारी की गई एवं तहसीलदार द्वारा दोनों ही पक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति अनुसार अप्रार्थी की उम्र आवंटन के समय 10 वर्ष थी। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 अवयस्क (नाबालिग) था। जिसका व्यवसाय खेती नहीं था एवं अवयस्क को सद्भावी काश्तकार नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में वक्त आवंटन आवंटी की उम्र 10 वर्ष होने एवं एक नाबालिग के सद्भावी काश्तकार नहीं होने से किए गए, उक्त आवंटन को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अन्य किसी प्रकार का दस्तावेजी सबूत अप्रार्थी संख्या 1 मूलसिंह के बालिग होने बाबत पेश नहीं किए गए है। इस प्रकार अवयस्क को आवंटन किया जाना विधी सम्मत नहीं माना जा सकता है तथा जब आवंटन ही विधी विरूद्ध किया गया है, तो आवंटी के पक्ष में दिए गए खातेदारी अधिकार भी विधिक सम्मत नहीं है तथा इस प्रकार अवयस्क को नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने हेतु समयावधि पर विचार करना भी न्यायोचित नहीं होने से आवंटन को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 मूलसिंह को खसरा नम्बर 92/4 रकबा 15 बीघा ग्राम सुकरलाई पटवार हल्का खुण्डावास में दिनांक 01.07.1965 को तहसीलदार पाली द्वारा किए गए, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रोहट को पालनार्थ भिजवाई जावे तथा मूल आवंटन पत्र प्रभारी अधिकारी, रेकर्ड शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 30/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली